सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
13 वुड स्ट्रीट
कोलकाता-700016 (पश्चिम बंगाल)
13 Wood Street,
Kolkata-700016 (West Bengal)
फैक्स/Fax: 033 - 22879038
दूरभाष/Telephone: 033-22875732/33
ई-मेल/e-Mail : wbs.gdc.soi@gov.in

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA
पश्चिम बंगाल एवम् सिक्किम
भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र
W.B. & SIKKIM. GEO-SPATIAL DATA CENTRE
कोलकाता
Kolkata

सं. No. Acct- 138 /18-A-5-8(P) दिनांक Dated : 22 अगस्त, 2019

कार्यालय आदेश सं. Office Order 105 /37-G-20 दिनांक 22 अगस्त, 2019

इस कार्यालय का कार्यालय आदेश संख्या 103/ 37-जी-20, दिनांक 21 अगस्त, 2019 को रद्द करते हुए निम्नलिखित कार्यालय आदेश जारी किये जाते हैं।

भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय के पत्र सं ब.- 4301/1117-पेंशन नियम, दिनांक 19 जुलाई, 2019 के अंतर्गत विज्ञान एवम् प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं. SM/03/02/2019 दिनांक 19 जुलाई, 2019 द्वारा प्राप्त सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (पी.एण्ड पी.डब्ल्यू. विभाग) का अर्धशासकीय पत्र सं. 1/12/2019-P&PW(G) दिनांक 28.06.2019 के आलोक में तथा क्षेत्रीय वेतन एवम् लेखा कार्यालय, कोलकाता के पत्र सं. RPAO/SRV/Admn/Circular/2019-20/299 दिनांक 19 अगस्त, 2019 के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 23 अगस्त, 2019 को प्रात: 10:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे के दौरान पेंशन अदालत का आयोजन किया गया है। पेंशन अदालत का स्थल 13, वुड स्ट्रीट में स्थित इस कार्यालय का सभागार होगा। इसमें इस कार्यालय से जुड़े सभी पेंशनकर्ताओं की पेंशन शिकायतों के निवारण का प्रयास किया जाएगा।

पेंशन अदालत में निम्नलिखित अधिकारी सम्मिलित रहेंगे जो पेंशन शिकायतों के त्वरित निष्पादन में सहयोग करेंगे-

1. कर्नल एस. श्रीधर राव, निदेशक
2. श्री कृष्ण चन्द्र दास, उपनिदेशक
3. श्रीमती स्वर्णिमा बाजपेयी, उपाधीक्षक सर्वेक्षक
4. श्री सुब्रतो चक्रबर्ती, स्थापना एवम् लेखाधिकारी
5. श्री गौरांग बरूई, प्रभारी (लेखा अनुभाग)

सभी पेंशनकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे अपनी शिकायतों/तकलीफों (complaints/grievances) को पेंशन-अदालत में लाने से पूर्व कार्यालय में निम्नलिखित ई-मेल द्वारा सूचित करें ताकि सुनवाई (hearing) से पहले उनके का अध्ययन किया जा सके।

wbs.gdc.soi@gov.in

एस. श्रीधर राव
(एस. श्रीधर राव) कर्नल
निदेशक
पश्चिम बंगाल व सिक्किम जीडीसी, कोलकाता

प्रतिलिपि:
1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर महासर्वेक्षक, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवम् लेखा कार्यालय, कोलकाता। उनसे अनुरोध किया जाता है कि इस पेंशन अदालत में सम्मिलित होकर पेंशन शिकायतों के त्वरित निष्पादन में सहयोग प्रदान करें।
4. वेबसाईट एडमिन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग को वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
5. उपनिदेशक/उप-अधीक्षक सर्वेक्षक/स्थापना एवम् लेखाधिकारी/प्रभारी: विंग-I/II/III/IV/तकनीकी/प्रशा/लेखा/MRIS/R&M/भण्डार अनुभाग।
6. सूचना पटल।